भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1210

03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए उपाय

1210. डॉ. मोहम्मद जावेद:

डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:

श्री राजेश रंजन:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों के मद्देनजर जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में जैव उर्वरकों के वितरण के लिए आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार जैव उर्वरक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) सरकार देश में जैव उर्वरकों को अपनाना किस प्रकार सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): सरकार उन जैव-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है जो पोषक तत्वों का किफायती और पर्यावरण अनुकूल स्रोत हैं और इन्हें जैविक खेती और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।

जैव उर्वरकों को परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजनाओं के तहत बढ़ावा दिया जाता है। पीकेवीवाई योजना के तहत, किसानों को जैव-उर्वरक सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 3 वर्षों के लिए 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत किसानों को जैव-उर्वरक सहित ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 3 वर्षों के लिए 32500 रुपये/हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) और गाजियाबाद, नागपुर, बेंगलुरु, इंफाल और भुवनेश्वर में स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र जैविक

खेती और जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग पर विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता का आयोजन कर रहे हैं।

प्रशिक्षण और जागरूकता के अलावा, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के तहत जैव-उर्वरकों को अधिसूचित किया गया है और उनके गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनका विनिर्माताओं द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है।

पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के तहत पिछले पांच वर्षों में जैव उर्वरकों सहित इनपुट के लिए क्रमशः 693.30 करोड़ रुपये और 236.78 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में डाले गए हैं।

(ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न फसलों और मृदा प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों की बेहतर किस्में विकसित की हैं। आईसीएआर उर्वरकों और खादों के एकीकृत उपयोग की अनुशंसा करता है। अखिल भारतीय मृदा जैव विविधता नेटवर्क परियोजना के तहत तरल और पाउडर दोनों रूपों में जैव उर्वरकों को विकसित किया गया है और इसे बढ़ावा दिया गया है। देश भर में विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त फास्फोरस घुलनशीलता, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पोटेशियम और जिंक घुलनशीलता के लिए जैव उर्वरक विकसित किए गए हैं और उनमें से कई का व्यवसायीकरण भी किया जा रहा है। आईसीएआर जैव-उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए फ्रंटलाईन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।

किसानों को जैव-उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल की हैं, जो इस प्रकार है:

i. जैव-उर्वरक, जैविक उर्वरक और जैविक खाद के एकीकृत उपयोग को आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पद्धतियों पैकेज का अभिन्न अंग बनाया गया है।
ii. आईसीएआर ने उच्च शैल्फ-लाइफ वाली तरल जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी विकसित की है तथा विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरकों की उन्नत किस्में भी विकसित की हैं।

(घ): सरकार देश में पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। दोनों योजनाओं में किसानों को जैव-उर्वरक सहित जैविक इनपुट खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3 वर्षों के लिए 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

******